संख्या-3/2015/212/इक्कीस-1-2015-2(7)/95

प्रेषक,

डा0 अलका टण्डन भटनागर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

भाषा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2015

विषयः प्रदेश के भारतीय भाषा केन्द्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद एवं इलाहाबाद के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रदत्त मानदेय में वृद्धि/संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-डिग्री विकास/भा0भा0प्र0प0प0/1581/2011-12 दिनांक 26-03-2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा भाषाई सौहार्द भावनात्मक एकता एवं राष्ट्रीय एकीकरण के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से स्थापित भारतीय भाषा केन्द्रों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-4300/21-90-11(43)/90 दिनांक 07 सितम्बर 1990 द्वारा निर्धारित/स्वीकृत मानदेय की दरों में राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 से(दिनांक 01 अप्रैल 2015 से) निम्नानुसार वृद्धि/संशोधन एवं भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	मद का नाम	पूर्व मानदेय की दर(प्रतिमाह)	वृद्धि/संशोधित मानदेय की दर(प्रतिमाह)
1-	केन्द्र निदेशक(1 x 12माह)	रू0 1,000/-	रू0 3,000/-
2-	सहायक निदेशक(1 x 12माह)	रू0 1,000/-	रू0 3,000/-
3-	प्रशिक्षक(13 x 11माह)	रू0 1,500/-	रू0 4,500/-
4-	लिपिक(2 x 12माह)	रू0 300/-	रू0 900/-
5-	परिचारक/चपरासी(2 x 12माह)	रू0 150/-	रू0 450/-

2- उक्त शासनादेश दिनांक 07 सितम्बर 1990 में वर्णित अन्य मदों हेतु पूर्व निर्धारित दरें यथावत् लागू रहेंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय आय-व्ययक की अनुदान संख्या-39 लेखाशीर्षक ''2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-05-भाषा विकास-10-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन-03-उत्तर प्रदेश भाषा निधि से वित्त पोषित शासन स्तर पर व्यय-42-अन्य व्यय'' के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7/772/दस-2015 दिनांक 21 अगस्त 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(डा0 अलका टण्डन भटनागर)
विशेष सचिव।

संख्या-3/2015/212(1)/इक्कीस-1-2015-2(7)/95-तद्वदिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्राचार्य/निदेशक भारतीय भाषा केन्द्र लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद एवं इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा-1), सी0ए0एस0एस0-तीन-टी0ए0डी0(कोआर्डिनेशन) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, इलाहाबाद।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद एवं इलाहाबाद।
5- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7
6- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
7- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
8- सम्बन्धित सहायक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचि

http://shasanadesh.up.nic.in